

:- न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म0प्र0) :-

संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश 07 MAY 2025

क्रमांक- 323 / 2025

उज्जैन, दिनांक : 07/05/2025

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-251/2025, उज्जैन दिनांक 09/04/2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है :-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्थानीय क्षेत्र	कार्य का विवरण
10.	श्री अर्पित जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1- ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :- 1- कोतवाली, 2- पंवासा
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2- तहसील उज्जैन एवं तहसील घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि0 1985 (एन0डी0पी0एस0) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3- तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले विस्फोटक अधिनियम 1884 के समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	4- केन्द्रीय श्रम प्रवर्तन कार्यालय उज्जैन की ओर से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विभिन्न श्रम अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	5- तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 30,00,001/- से रुपये 35,00,000/- तक एवं रुपये 50,00,001/- से रुपये 60,00,000/- तक है।

तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिया	6- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र कोतवाली व पंवासा से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिया	7- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में केन्द्रीय नार्कोटिक ब्यूरो (CBN) एवं अन्य विशेष विभाग/ब्यूरो से संबंधित धारा 52 क के अंतर्गत सेम्पलिंग एवं निराकरण की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
जिला उज्जैन	8- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आज दिनांक-07/05/2025 से ही प्रभावशील होगा।

अनुमोदित

(राजेश कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म0प्र0)

(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)

प्रतिलिपि :-

पृष्ठांकन क्रमांक- 323 /2025

07 MAY 2025
उज्जैन, दिनांक-07/05/2025

- माननीय उच्च न्यायालय म0 प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/3175/तीन-10-48 /98 जबलपुर दिनांक 09-सितम्बर-2009 के पालन मे सादर प्रेषित।
- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- माननीय श्री/श्रीमती समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन/खाचरौद/नागदा/महिदपुर/तराना एवं बड़नगर की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- श्री/श्रीमती/कु. समस्त ए.सी. जे.एम./जे.एम.एफ.सी.उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- अध्यक्ष अभिभाषक संघ उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।

- 7- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन को ई.मेल द्वारा सुचित करने हेतु एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित।


(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (मोप्रो)